

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 255/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-17.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 17.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना-जहानागंज:-नाजायज गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 16.07.25 को उपनिरीक्षक आदित्य कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर बजहा पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि सठियाँव की तरफ से आ रहे बाइक सवार 02 व्यक्तियों को समय करीब 22.10 बजे रोककर चेक किया गया तो प्लास्टिक की पीले रंग की बोरी से 03 Kg 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः 01. राकेश भारती पुत्र स्व0 श्यामू उर्फ शामू निवासी कस्बा सराय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष 02. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बिन्दू नि0 नूरपुर बुतात रोडवेज थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/25 धारा 8/20 NDPS Act बनाम बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 238/25 धारा 8/20 NDPS Ac थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

राकेश भारती पुत्र स्व0 श्यामू उर्फ शामू निवासी कस्बा सराय थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

01. मु0अ0सं0 483/2008 धारा 302 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

02. मु0अ0सं0 238/25 धारा 8/20 NDPS Ac थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बिन्दू नि0 नूरपुर बुतात रोडवेज थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

01. मु0अ0सं0 81/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती

02. मु0अ0सं0 238/25 धारा 8/20 NDPS Ac थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. 03 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

2.उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

3.उ0नि0 राहुल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

4.का0 सुधीर कुमार गोस्वामी थाना जहानागंज आजमगढ़

5. का0 शिवम चौधरी थाना जहानागंज आजमगढ़

6.का0 श्रीप्रकाश थाना जहानागंज आजमगढ़

7.का0 आशुतोष चौबे थाना जहानागंज आजमगढ़



02. थाना – मेहनाजपुर:- साइबर फ्राड के 84,000/- रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 29.01.2025 को आवेदक सचिन प्रजापति पुत्र लालबहादुर प्रजापति निवासी ग्राम सिहुकाअबीरपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के खाते से फिर्नेशियल साइबर फ्राड करते हुये कुल 84,000 रु/- का साइबर धोखाधड़ी हुई जिसके क्रम मे आवेदक की शिकायत पर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत सं0 33101250013433 दर्ज किया गया। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल द्वारा फ्राड हुये 84,000/- रु0 को होल्ड कर दिया गया। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साइबर हेल्पडेस्क टीम के उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा व कम्प्यूटर आपरेटर रविकान्त पटेल थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश (फंड रिलीज आर्डर) के क्रम में संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी को अवगत कराते हुये आवेदक के होल्ड हुये कुल 84,000 रुपये को वापस करा दिया गया।

➡ आवेदक सचिन प्रजापति के शिकायत सं0 33101250013433 के प्रा0पत्र/ साईबर कम्प्लेन के जांच के क्रम में थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर हेल्पडेस्क टीम के उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा व कम्प्यूटर आपरेटर रविकान्त पटेल द्वारा आवेदक के खाते में होल्ड हुई धनराशि कुल 84,000 रुपये को वापस कराया गया है।

पुलिस टीम:-

01.थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

02.उ0नि0 विक्रान्त मिश्रा थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

03.कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए रविकान्त पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़



थाना-निजामाबाद:- नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना—

वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की शादी दिनांक 10.06.25 को हुई थी। शादी के पूर्व प्रार्थिनी अभियुक्त एहसान पुत्र एजाज निवासी गोढ़वा थाना बरदह जिला आजमगढ़ के साथ सरायमीर में पैथालॉजी में काम करती थी। एहसान जबरजस्ती फोन एवं व्हाट्सएप्प पर चैट करता था प्रार्थिनी के मना करने पर गाली गलौज एवं मारने की धमकी अक्सर देता था। शादी होने के बाद प्रार्थिनी की ससुराल में फोन एवं चैट करके पीड़िता को अश्लील वीडियो एवं फोटो भेजकर ब्लैकमेल करके डराने एवं धमकाने लगा और पीड़िता को मिलने के लिए जबरदस्ती किया। पीड़िता के मना करने पर जबरजस्ती वह अपने घर ले जाकर भद्दी भद्दी गाली व चमारिया सियारिया जातिसूचक शब्द से अपमानित किया। दिनांक 24.06.25 को पीड़िता के ससुराल से जबरजस्ती अगवा कर ले गया और शादी का झांसा देकर रखा एवं पीड़िता के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब उसके विरुद्ध गई तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा और प्रार्थिनी का जेवर व सामान अभियुक्त के घर वाले जबरदस्ती लेकर मारपीट करके भगा दिये। पीड़िता की तहरीर पर दिनांक 12.07.25 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/25 धारा 309(5), 127(3), 115(2), 69, 352, 351(3) बीएनएस व 3(2)V SC/ST ACT बनाम 1. एहसान 2. सलमान 3. शीबू पुत्रगण एजाज 4. राबिया पत्नी एजाज निवासीगण गोढ़ाब थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(1)द, 3(1)ध SC/ST ACT की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 17.07.25 को उ0नि0 अनिल सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त एहसान अहमद पुत्र एजाज नि0 ग्राम गोठाव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 22 को ग्राम खुदादादपुर चौराहे से समय करीब 09.30 बजे नियमानुसार हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. एहसान अहमद पुत्र एजाज नि0 ग्राम गोठाव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 22

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 250/25 धारा- 309(5), 127(3), 115(2), 69, 352, 351(3) BNS व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT

पूर्व का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 73/2019 धारा 323, 452, 504 IPC थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 198/2021 धारा 307, 34,506 IPC थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 382/2024 धारा 115(2), 3(5), 351(2), 352 BNS थाना बरदह जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 405/2024 धारा 115(2), 117(2), 351(2), 352 BNS थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

01. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह निजामाबाद जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 परमात्मा यादव निजामाबाद जनपद आजमगढ़
03. का0 विक्रम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

